भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *235
दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

गरीबी उन्मूलन के लिए कदम

*235. **श्री दिनेश चंद्र यादव:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में 80 करोड़ लोगों के लिए नि:शुल्क राशन योजना गरीबी उन्मूलन में किस प्रकार सहायक है; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (संस्कृति मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा "गरीबी उन्मूलन के लिए कदम" के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.08.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *235 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) बहुआयामी गरीबी को दूर करने के लिए प्रमुख अंतःक्षेपों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), पीएम-जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्टार्ट अप इंडिया और स्टार्ट अप गारंटी, सौभाग्य, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के (एनएफएसए) के तहत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% आबादी और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को सस्ती कीमतों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किलोग्राम) पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तत्पश्चात कोविड-19 के दौरान, सरकार ने अप्रैल 2020 से लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों, विशेषकर समाज के अरक्षित वर्गों के जीवन और आजीविका पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई लक्षित अंतःक्षेप किए। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का प्रावधान शामिल था।

इसके अतिरिक्त, लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए, सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

(ग) बजट विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और केंद्रीय बजट में उपलब्ध है।
